

प्रिप

62

झारखण्ड सरकार

उद्योग विभाग

(उद्योग निदेशालय)

/रॉची, दिनांक 01/11/2021

पत्रांक 36 (प्रौ. 310)

02/उनि/40(आवं)-यो-DIC-15/2021-22

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार सिंह, म0प्र0से0
निदेशक उद्योग

सेवा में,

महाप्रबंधक,

जिला उद्योग केन्द्र,

दुमका/साहेबगंज/गुमला/लोहरदगा/रॉची/चाईबासा/गिरिडीह/हजारीबाग/देवघर/पलामू/गोड्डा एवं धनबाद।

विषय- वित्तीय वर्ष 2021-22 में माँग संख्या - 23 के अधीन STATE SCHEME- District Industries Centre (0906) के तहत गैर जनजातीय प्रक्षेत्र एवं जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना में जिला उद्योग केन्द्र की स्थापना (स्कीम) अन्तर्गत क्रमशः 25,05,000/- रु0 एवं 40,90,000/- रु0 अर्थात् कुल 65,95,000/- रु0 (पैंसठ लाख पनचानवे हजार रु0) मात्र का उप आवंटन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय राज्यादेश संख्या-63 एवं 64 दिनांक 24.09.2021 तथा विभागीय आवंटन सं0 29 दिनांक 08.10.2021 के आलोक में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में माँग संख्या - 23 के अधीन STATE SCHEME - District Industries Centre (0906) अन्तर्गत गैर जनजातीय प्रक्षेत्र एवं जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना में जिला उद्योग केन्द्र की स्थापना (स्कीम) अन्तर्गत क्रमशः 25,05,000/- रु0 एवं 40,90,000/- रु0 अर्थात् कुल 65,95,000/- रु0 (पैंसठ लाख पनचानवे हजार रु0) मात्र का उप आवंटन व्यय विवरणी परिशिष्ट 'क' एवं 'ख' के अनुसार निम्नवत् आवंटित किया जाता है :-

क्र0	बजट शीर्ष/ विपत्र कोड	स्थापना का नाम	उप आवंटित राशि रुपये में	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कोषागार का नाम
1	2	3	4	5	6
1.	State Scheme Distrc Industries Centre (0906) बजट शीर्ष 2851-ग्राम तथा लघु उद्योग - 102 - लघु उद्योग- 68 - जिला उद्योग केन्द्र की स्थापना (स्कीम)	जिला उद्योग केन्द्र, गिरिडीह	300000	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, गिरिडीह GRDIND007	जिला कोषागार, गिरिडीह
		जिला उद्योग केन्द्र, हजारीबाग	400000	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, हजारीबाग HZBIND002	जिला कोषागार, हजारीबाग
		जिला उद्योग केन्द्र, देवघर	300000	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, देवघर DGRINDF23	जिला कोषागार, देवघर
		जिला उद्योग केन्द्र, पलामू	655000	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पलामू PLMIND001	जिला कोषागार, पलामू
		जिला उद्योग केन्द्र, गोड्डा	550000	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, गोड्डा GDDIND001	जिला कोषागार, गोड्डा
		जिला उद्योग केन्द्र, धनबाद	300000	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, धनबाद DHNIND001	जिला कोषागार, धनबाद
	योग 1		2505000		
2	State Scheme Distrc Industries Centre (0906) बजट शीर्ष 2851-ग्राम तथा लघु उद्योग -796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना- 68- जिला उद्योग केन्द्र की स्थापना (स्कीम)	जिला उद्योग केन्द्र, दुमका	840000	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, दुमका DMKIND006	जिला कोषागार, दुमका
		जिला उद्योग केन्द्र, साहेबगंज	1150000	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, साहेबगंज SBJIND001	जिला कोषागार, साहेबगंज
		जिला उद्योग केन्द्र, गुमला	690000	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, गुमला GMLIND001	जिला कोषागार, गुमला
		जिला उद्योग केन्द्र, लोहरदगा	210000	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, लोहरदगा LDGIND001	जिला कोषागार, लोहरदगा
		जिला उद्योग केन्द्र, रॉची	350000	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, रॉची RNCIND009	जिला कोषागार, रॉची
		जिला उद्योग केन्द्र, चाईबासा	850000	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, चाईबासा SGHIND001	जिला कोषागार, चाईबासा
	योग 2		4090000		
	कुल योग(1+2)		6595000		

(पैंसठ लाख पनचानवे हजार रु0) मात्र

61

2. इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में योजना व्यय शीर्ष 2851-102-68- जिला उद्योग केन्द्र की स्थापना (स्कीम) एवं 2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना-68-जिला उद्योग केन्द्र की स्थापना (स्कीम) अन्तर्गत विकलित होगा तथा राशि की निकासी हेतु विपत्र पर विपत्र कोड अंकित करना अनिवार्य होगा।
3. यह राशि वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट उपबन्ध के अन्तर्गत है।
4. इस राशि के निकासी एवं व्यय वास्तविक व्यय के आधार पर की जायेगी।
5. राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्र संख्या 2561 वि0(2), पटना, दिनांक 17.04.1998 एवं वित्त - 4 - 23/2003/1800 वि0 रॉची दिनांक 15.7.2003 एवं 1201 दिनांक 27.03.2017 तथा अद्यतन परिपत्र/दिशा-निदेश के आलोक में ही की जाएगी एवं उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। आवंटित राशि का व्यय निम्नांकित शर्तों के अनुसार किया जाएगा:-
(क) योजना की स्वीकृति के आधार पर तथा वित्त विभाग के उक्त परिपत्र में निर्धारित अधिसीमा तक ही व्यय किया जाय।
(ख) एक इकाई की राशि का व्यय दूसरी इकाई में नहीं किया जाय।
(ग) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्त नियमावली के भाग-1 के नियम 475 का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाय ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में प्रावधानित राशि से अधिक व्यय नहीं होने पाये।
(घ) मासिक व्यय/प्रत्यर्पण प्रतिवेदन 31 मार्च 2022 तक अधोहस्ताक्षरी को अवश्य उपलब्ध करा दिया जाय।
6. राशि की निकासी एवं व्यय विभागीय राज्यादेश संख्या-63 एवं 64 दिनांक 24.09.2021 तथा विभागीय आवंटन सं0 29 दिनांक 08.10.2021 में अंकित निर्देशों/शर्तों/मापदण्डों के आलोक में की जाएगी।
7. योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, रॉची के पत्रांक 1361 दिनांक 09.05.2016 एवं 1201 दिनांक 27.03.2017 तथा अन्यान्य अद्यतन परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए तदनुरूप उप आवंटित राशि की निकासी एवं व्यय की जाएगी।
8. राशि के व्यय के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अविलम्ब महालेखाकार को उपलब्ध कराया जाएगा।
9. ऑनलाईन निर्गत आवंटन की विवरणी संलग्न है, जिसे <https://172.16.20.15/ifmsjhar> पर देखा जा सकता है।

विश्वासभङ्गन

(जितेन्द्र कुमार सिंह)
निदेशक उद्योग

ज्ञापांक 36 (प्रौ. आण) / रॉची, दिनांक 01/11/2021

02/उनि0/ब0(आव0)-यो0-DIC-15/2021-22

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हक0), झारखण्ड, पो0-हिन्, रॉची को अनुलग्नक के साथ सूचनार्थ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(जितेन्द्र कुमार सिंह)
निदेशक उद्योग

ज्ञापांक 36 (प्रौ. आण) / रॉची, दिनांक 01/11/2021

02/उनि0/ब0(आव0)-यो0-DIC-15/2021-22

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, दुमका/साहेबगंज/गुमला/लोहरदगा/रॉची/चाईबासा/गिरिडीह/हजारीबाग/देवघर/पलामू/गोड्डा एवं धनबाद को अनुलग्नक के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(जितेन्द्र कुमार सिंह)
निदेशक उद्योग

ज्ञापांक 36 (प्रौ. आण) / रॉची, दिनांक 01/11/2021

02/उनि0/ब0(आव0)-यो0-DIC-15/2021-22

प्रतिलिपि :- माननीय विभागीय (उद्योग) मंत्री के आप्त सचिव/सचिव, उद्योग विभाग/संबंधित उपायुक्त/संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संयुक्त सचिव, (बजट) उद्योग विभाग/प्रभारी पदाधिकारी (बजट)/प्रभारी पदाधिकारी, योजना, उद्योग निदेशालय, झारखण्ड रॉची/कम्प्यूटर (वेबसाइट) कोषांग, उद्योग निदेशालय, रॉची को अनुलग्नक के साथ सूचनार्थ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(जितेन्द्र कुमार सिंह)
निदेशक उद्योग

झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग
(उद्योग निदेशालय)
उप आवंटन विवरणी परिशिष्ट- 'ख'

सं० सं०- 02/उ०नि०/ब०(आवं०)-यो०-DIC-15/2021-22

वित्तीय वर्ष 2021-22 में योजना से संबंधित व्यय को वहन करने हेतु STATE SCHEME - District Industries Centre (0906) माँग सख्या - 23 के अधीन मुख्य शीर्ष 2851- ग्राम तथा लघु उद्योग-796-जनजीय क्षेत्रीय उपयोजना-68-जिला उद्योग केन्द्र की स्थापना (स्कीम) अर्न्तगत उप आवंटित राशि का ब्यौरा।
राशि (रु० में)

क्र०	विस्तृत शीर्ष (कोड सहित)/ विपत्र कोड	जिला उद्योग केन्द्र, दुमका	जिला उद्योग केन्द्र, साहेबगंज	जिला उद्योग केन्द्र, गुमला	जिला उद्योग केन्द्र, लोहरदगा	जिला उद्योग केन्द्र, राँची	जिला उद्योग केन्द्र, चाईबासा	कुल योग (3+8) राशि (रु० में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01-वेतन एवं भत्ते 03-मजदूरी 23S28510079668000103	450000	500000	140000	150000	150000	300000	1690000
2	03-प्रशासनिक व्यय 15-कार्यालय व्यय 23S28510079668000315	240000	300000	250000	60000	100000	250000	1200000
3	17-मशीन एवं उपकरण 23S28510079668000317	150000	350000	300000	0	100000	300000	1200000
	कुल योग	840000	1150000	690000	210000	350000	850000	4090000
	निकासी एवं व्ययन पदा०	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, दुमका DMKIND006	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, साहेबगंज SBJIND001	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, गुमला GMLIND001	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, लोहरदगा LDGIND001	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, राँची RNCIND009	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, चाईबासा SGHIND001	
	कोषागार का नाम	जिला कोषागार, दुमका	जिला कोषागार, साहेबगंज	जिला कोषागार, गुमला	जिला कोषागार, लोहरदगा	जिला कोषागार, राँची	जिला कोषागार, चाईबासा	

(चालीस लाख नब्बे हजार रुपये) मात्र

(जितेन्द्र कुमार सिंह)
निदेशक उद्योग

झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग
(उद्योग निदेशालय)
उप आवंटन विवरणी परिशिष्ट-‘क’

सं० सं०- 02/उ०नि०/ब०(आवं०)-यो०-DIC-15/2021-22

वित्तीय वर्ष 2021-22 में योजना से संबंधित व्यय को वहन करने हेतु STATE SCHEME - District Industries Centre (0906) माँग सख्या - 23 के अधीन मुख्य शीर्ष 2851- ग्राम तथा लघु उद्योग-102-लघु उद्योग-68-जिला उद्योग केन्द्र की स्थापना (स्कीम) अर्न्तगत उप आवंटित राशि का ब्यौरा।

राशि (रु० में)

क्र०	विस्तृत शीर्ष (कोड सहित)/ विपत्र कोड	जिला उद्योग केन्द्र, गिरिडीह	जिला उद्योग केन्द्र, हजारीबाग	जिला उद्योग केन्द्र, देवघर	जिला उद्योग केन्द्र, पलामू	जिला उद्योग केन्द्र, गोड्डा	जिला उद्योग केन्द्र, धनबाद	कुल योग (3+8) राशि (रु० में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01-वेतन एवं भत्ते 03-मजदूरी 23S28510010268000103	200000	200000	50000	255000	150000	150000	1005000
2	03-प्रशासनिक व्यय 15-कार्यालय व्यय 23S28510010268000315	50000	100000	150000	150000	200000	50000	700000
3	17-मशीन एवं उपकरण 23S28510010268000317	50000	100000	100000	250000	200000	100000	800000
	कुल योग	300000	400000	300000	655000	550000	300000	2505000
	निकासी एवं व्ययन पदा०	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, गिरिडीह GRDIND007	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, हजारीबाग HZBIND002	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, देवघर DGRINDF23	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पलामू PLMIND001	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, गोड्डा GDDIND001	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, धनबाद DHNIND001	
	कोषागार का नाम	जिला कोषागार, गिरिडीह	जिला कोषागार, हजारीबाग	जिला कोषागार, देवघर	जिला कोषागार, पलामू	जिला कोषागार, गोड्डा	जिला कोषागार, धनबाद	

(पच्चीस लाख पाँच हजार रुपये) मात्र

(जितेन्द्र कुमार सिंह)
निदेशक उद्योग